COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

209

।।श्री।।

Noted. C.F 26-4-13

धारा 50 भूराजस्व संहिता

के अन्तर्गत पुनरीक्षणः— पुन.याचिका प्र.क्र /2013

*माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर*

*केम्प इन्दौर, इन्होंके न्यायालय में*

राधेश्याम पिता धनाजी अहीर आयु 60 वर्ष
धंधा काश्त निवासी ग्राम बिलखेड़ बुजुर्ग
तहसील गोगावां जिला खरगोन (म.प्र.) —— पिटीश्नर

1867-PBR/13

*विरूद्ध*

(1) सुभाष पिता राजाराम अहीर आयु 36 वर्ष
निवासी ग्राम बिलखेड़ बुजुर्ग तहसील गोगावां जिला खरगोन

(2) मधुबाई पिता राजाराम पति संतोष अहीर आयु 42 वर्ष
निवासी ग्राम टेमा बेहरामपुर तहसील खरगोन
जिला खरगोन

(3) गिरजाबाई पिता राजाराम पति राधेश्याम अहीर आयु 40 वर्ष
निवासी ग्राम टेमरनी तहसील व जिला खरगोन —— रेस्पाण्डेंट्स

सु.श्री चंचला शर्मा अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 25-4-13 को इन्दौर केम्प पर प्रस्तुत। 25-4-13

अन्तर्गत धारा 109, 110 म.प्र.भूराजस्व संहिता ।

इसमें मैं पिटीश्नर श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खरगोन इन्होंके अपील प्र.क्र.51अ6/2011—12 में पारित आदेश दिनांक 28/2/2013 के पुनर्विलोकन के सम्बन्ध में प्रस्तुत याचिका दिनांक 11/3/2013 को बिना कोई सुनवाई किये दिनांक 12/3/2013 को निरस्त किया होने से असन्तुष्ट होकर यह पुनरीक्षण याचिका अन्य कारणो के साथ—साथ निम्न कारणो से प्रस्तुत करता हूँः—

6-5-13

पारित आदेश दिनांक 12/3/2013 के विरूद्ध अपील का कोई प्रावधान नही है। पारित विवादित आदेश दिनांक 12/3/2013 का वैधिक प्रावधानो को अनदेखा कर अधिनस्थ न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहे व विवादित आदेश की पुनर्विलोकन आवेदन पत्र विचारोपरान्त निरस्त किया जाता है पूर्णतः अवैधानिकता हुई है, वास्ते यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करना भाग हुआ है।

यह पुनरीक्षण याचिका नियत न्यायशुल्क पर नियत समयावधि में प्रस्तुत की गई है।

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक निगरानी 1867-पीबीआर/2013 जिला खरगोन**

| स्थान व दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 21-02-19 | प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो ।<br><br>अध्यक्ष | |